

**FORM-I**  
(for linear projects)  
Government of Chhattisgarh  
Office of the District Collector Gariaband

\*\*\*\*\*

No. 3406

Date 03/08/19

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear Project, it is certified that 24.569 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of - Project Manager (ADB Project) Chhattisgarh State Road Sector Project Division Raipur PWD Sirpur Bhawan Raipur for - Rehabilitation and Upgrading of Panduka, Jatmai, Ghatarani, Madeli, Mudagaon Road in Gariaband District falls within Jurisdiction of - Kurud, Gadaghat, Sakra, Piparchedi, Taurenga, Madeli village(s) in Chhura -tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.569 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:

As above.



Shyam Dhawde  
(IAS) 3/8/19  
Collector & District Magistrate  
District, Gariaband



**प्रमाण पत्र**

कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.) प्रोजेक्ट छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर लो0नि0वि0 सिरपुर भवन, रायपुर (छ0ग0) को पाण्डुका जतमई घटारानी मडेली मुड़ागांव पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु तहसील छुरा जिला गरियाबंद के कुरुद/गाड़ाघाट/सांकरा/पीपरछेड़ी/तौरंगा/मडेली गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 24.569 हेक्टेयर बड़े झाड़ के जंगल/वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012 का प्रमाण पत्र।

01/- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012 में निहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। सड़क निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि/वन भूमि 24.569 हेक्टेयर है, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कुरुद/गाड़ाघाट/सांकरा/पीपरछेड़ी/तौरंगा/मडेली तहसील छुरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव (प्रदर्श 'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब') पर दर्शित है।

02/- ग्राम पंचायत कुरुद/गाड़ाघाट/सांकरा/तौरंगा के सरपंच की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.01.2019 व ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी/मडेली के सरपंच की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2018/25.08.2018 में 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिसमें यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

| क्र. | ग्राम का नाम | प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र धारक | रकबा (हे.मे.) |
|------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01.  | कुरुद        | निरंक                                           | निरंक         |
| 02.  | गाड़ाघाट     | निरंक                                           |               |
| 03.  | सांकरा       | निरंक                                           |               |
| 04.  | पीपरछेड़ी    | निरंक                                           |               |
| 05.  | तौरंगा       | निरंक                                           |               |
| 06.  | मडेली        | निरंक                                           |               |

03/- यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा0) गरियाबंद के प्रतिवेदन दिनांक 29.05.2019 व उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.05.2019 के अनुसार ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ड.) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

04/- राजस्व/वन विभाग के संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन/ग्राम सभा के प्रस्ताव/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.05.2019/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 16.07.2019 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक:- 03.08.2019



(श्याम शर्मा)  
कलेक्टर 3/8/19  
अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति  
जिला गरियाबंद (छ.ग.)



# अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ0ग0) 138

## // बैठक की कार्यवाही का विवरण //

अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर लो.नि.वि. सिरपुर भवन रायपुर द्वारा ग्राम कुरुद, गाडाघाट, सांकरा, पीपरछेड़ी, तौरंगा एवं ग्राम मडेली में पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागौव मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्रामसभा की अनुसंशा सहित प्रस्ताव अनुविभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

| क. | ग्राम का नाम | वन कक्ष क. | ख.सं. क. | वनभूमि रकबा(हे0) | राजस्व वनभूमि रकबा(हे0) | मद                |
|----|--------------|------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | कुरुद        |            | 745      |                  | 0.014                   | बड़े झाड़ के जंगल |
|    |              |            | 725      |                  | 0.128                   | "                 |
|    |              |            | 746      |                  | 0.012                   | "                 |
|    |              |            | 724      |                  | 0.004                   | "                 |
|    |              |            | 722      |                  | 0.045                   | "                 |
|    |              |            | 710      |                  | 0.042                   | "                 |
|    |              |            | 709      |                  | 0.024                   | "                 |
| 2. | गाडाघाट      |            | 547      |                  | 0.077                   | बड़े झाड़ के जंगल |
|    |              |            | 548      |                  | 0.168                   | "                 |
|    |              |            | 550      |                  | 0.012                   | "                 |
|    |              |            | 552      |                  | 0.120                   | "                 |
|    |              |            | 829      |                  | 0.183                   | "                 |
|    |              |            | 831      |                  | 0.026                   | "                 |
|    |              |            | 833      |                  | 0.052                   | "                 |
|    |              |            | 834      |                  | 0.010                   | "                 |
|    |              |            | 835      |                  | 0.146                   | "                 |
| 3. | सांकरा       |            | 86       |                  | 0.115                   | "                 |
|    |              |            | 245      |                  | 0.329                   | "                 |

अनुविभागीय अधिकारी (स.)  
गरियाबंद



|    |           |     |         |            |       |                   |
|----|-----------|-----|---------|------------|-------|-------------------|
|    |           | 76  |         | 2.655      |       | संरक्षित वनभूमि   |
| 4. | पीपरछेड़ी |     | 2       |            | 1.398 | बड़े झाड़ के जंगल |
|    |           |     | 12      |            | 0.152 | "                 |
|    |           |     | 234     |            | 0.256 | "                 |
|    |           |     | 428     |            | 0.436 | "                 |
|    |           |     | 448     |            | 0.761 | "                 |
|    |           |     | 454     |            | 0.194 | "                 |
|    |           |     | 468     |            | 0.320 | "                 |
|    |           | 90  |         | 0.644      |       | आरक्षित वनभूमि    |
|    |           | 94  |         | 2.033      |       | संरक्षित वनभूमि   |
|    |           | 109 |         | 1.025      |       | आरक्षित वनभूमि    |
|    |           | 111 |         | 1.600      |       | संरक्षित वनभूमि   |
|    |           | 113 |         | 2.433      |       | "                 |
|    |           | 114 |         | 1.641      |       | आरक्षित वनभूमि    |
|    |           | 115 |         | 1.968      |       | "                 |
|    |           | 116 |         | 0.654      |       | "                 |
| 5. | तौरंगा    |     | 104     |            | 0.088 | बड़े झाड़ के जंगल |
|    |           | 117 |         | 1.067      |       | संरक्षित वनभूमि   |
|    |           | 118 |         | 0.214      |       | आरक्षित वनभूमि    |
|    |           | 119 |         | 3.457      |       | "                 |
| 6. | मडेली     |     | 1752    |            | 0.054 | बड़े झाड़ के जंगल |
|    |           |     | 1781    |            | 0.012 | "                 |
|    |           |     | योग     | 19.391 हे० | 5.178 |                   |
|    |           |     | कुल योग | 24.569 हे० |       |                   |

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 27/5/2019 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित

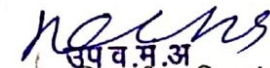


भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव, मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गरियाबंद  
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

  
उप वन महासभा अधिकारी / राजिम  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
जनपद पंचायत, गरियाबंद  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

  
जनपद सदस्य  
श्रीमती चैतन्य बाई  
जनपद पंचायत, सदस्य क्षेत्र 14 गरियाबंद  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

  
जगदीश्वरी धुव,  
जनपद पंचायत, सदस्य क्षेत्र क. 05, छुरा,  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद